



हर रिश्ते का रखे ख्याल...

तो सवाल ये है, ओसवाल सोप ही क्यों?



ये बना है
नेचुरल ऑयल्स से



खारे पानी में भी
कपड़े करे साफ़



कम गले
ज्यादा चले



कपड़ों और हाथों का
रखे ख्याल



इसलिए हर घर का भरोसेमंद नाम
ओसवाल सोप



Product image is for illustrative purposes only and may differ from the actual product

ओसवाल सोप ग्रुप - हर रिश्ते का रखे ख्याल

सोप एवं टब सोप



अधिक जानकारी के लिए
+91 91161 71956, 96802 01956 पर कॉल करें

विपणन :
उत्तम चन्द देसराज

अब घर बैठे मँगवाये ओसवाल उत्पाद
OswalSoap.com पर जाएं या
स्कैन करें और ओसवाल ऐप डाउनलोड करें
GET IT ON
Google Play



विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राष्ट्रपति के प्रश्न तीन के उत्तर में संविधान पीठ ने माना कि राज्यपाल का function justiciable mandamus नहीं है फिर Mandamus जारी करने के निदेशन से कोर्ट स्वयं ही संकट में आ सकती है

कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु राज्य की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये विधेयकों (बिलों) पर निर्णय लेने की सीमा तय की थी। संविधान के सम्बन्धित प्रावधानों में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 200 व 201 की सही व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 कानूनी बिन्दुओं पर राय मांगी। मूल प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में माना कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है।

भारत के संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान भिन्न हैं। प्रारम्भ में ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों ही संवैधानिक प्रमुख रबर स्टाम्प की तरह अपना काम करेंगे; किन्तु समय ने यह सिखा दिया कि ऐसा सोचना सही नहीं था। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 एवं 55 की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है और राज्यपाल (गवर्नर) की नियुक्ति अनुच्छेद 155 की प्रक्रिया से राष्ट्रपति करते हैं। दोनों ही संवैधानिक प्रमुखों को कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 154, 161, 163 व 166 उन्हें कार्यपालिका के अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 168, 158, 200, 201, 213 व अनुच्छेद 174 उन्हें विधायिकका के अधिकार देते हैं। जजों की संविधान पीठ ने अर्थात् सीजेआई गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस चंद्रकर व जस्टिस नरसिम्हा ने अपनी राय एक सुरू में दी है। अनुच्छेद 200 की जो विशद व्याख्या की गई है वह अद्भुत व प्रशंसनीय है। सोलोसिटर जनरल तुषार मेहता के शब्दों में वह ज्ञानवर्धक है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपित सिम्बल ने निर्णय को विवेकपूर्ण व विचारशील बताया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान पीठ ने यह माना कि खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 08 अप्रेल, 2025

जुटिपूर्ण था, जिसमें खण्डपीठ ने राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिये समय सीमा तीन माह तय की थी। इसी फैसले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिन्दुओं पर राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न 1 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत

राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प हैं वे मंजूरी दें, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें या पुनः विचार के लिये टिप्पणी के साथ विधान मण्डल को लौटा दें। उनके पास बिल रोकने का विकल्प नहीं है। प्रश्न 2 के उत्तर में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद में ऐसी कोई बाध्‍यता नहीं है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सला लेवें। प्रश्न 3 के उत्तर में संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के विवेक प्रयोग की समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती; किन्तु संविधान पीठ ने इस मत की अभिव्यक्ति करते हुये भी यह कह दिया कि यदि लम्बे समय तक, अस्पष्ट निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने पर कोर्ट विचार कर अपना निर्देश दे सकती है। संविधान पीठ ने अपने निर्णय (राय) दिनांक 20.11.2025 के पेरा 165 में उपरोक्त कथन को निम्नलिखित रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया है :-

“165.3: The discharge of the Governor’s function under Article 200, is not justiciable. The Court cannot enter into a merits review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite — the Court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time period, without making any observations on the merits of the exercise of his discretion.”

संविधान पीठ ने एक ओर तो विधेयकों पर राज्यपाल से समय सीमा पर मंजूरी प्राप्त न होने पर स्वतः मंजूरी (Deemed Assent) की संविधान की भावना के विपरीत और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध माना है। दूसरी ओर उपरोक्त पेरा 165.3 में जो भावना अभिव्यक्त की है वह प्रश्न एक के उत्तर पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। सब कुछ कहने और स्पष्ट करने पर भी मूल प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही दिखाई देता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कोर्ट की अनिश्चितकाल अथवा अस्पष्ट बात वाली सलाह पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट करता है कि बिल के वापस बन जाने के बाद judicial Adjudication के सिद्धान्त लागू होते हैं, इससे पूर्व राज्यपाल के विवेकपूर्ण निर्णयों पर कोर्ट का दखल स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 200 व 201 के प्रावधानों की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वह सरसम्मत में ज्ञानवर्धक है, और स्पष्ट करती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को केवल वे विकल्प प्राप्त हैं जिनका उल्लेख प्रश्न 1 के उत्तर में दिया गया है। समय उतार या deemed asscnt का सिद्धान्त अनुच्छेद 200 की शब्दावली में संशोधन करना होगा, जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के प्रयोग के बिना नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा राष्ट्रपति पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के बाद, अब केवल यह विकल्प कार्यपालिका के पास है कि संविधान में यशोचित संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र ही किया जावे और इस उलझी हुई स्थिति से देश को मुक्ति दिलाई जावे। जनहित व देशहित में यह सही मार्ग है।

हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केन्द्र में केन्द्रीय सरकार है और राज्यों में राज्य की सरकारें। हम एक लोकतान्त्रिक गणराज्य हैं। केन्द्र और राज्यों में अलग-2 राजनीतिक पार्टियों की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अधिक होती है। इनमें सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। हमारे संवैधानिक प्रमुख जैसे प्रेसीडेंट व गवर्नर केवल मात्र शोभा के पात्र अथवा रबर स्टाम्प मात्र नहीं हैं। उनकी भूमिका का अपना ही महत्व है उन्हें विवेक व संतुलन के आधार पर अपना कर्त्तव्य पालन करना होता है तथा अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करना है, उसकी पालना करना है। संविधान पीठ ने संवैधानिक प्रमुखों की स्वतंत्रता का अक्षुण्णता प्रदान की है। केन्द्र और राज्य में विभिन्न राजनीतिक मतालम्बियों की सरकारों में आपसी टकराव देखने को मिल रहे हैं, उनमें आपसी सन्तुलन रखना जहां आवश्यक है वहीं बहुत ही नाजुक भी है। अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते समय यह तो कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है, किन्तु यह कह दिया कि अनिश्चितकाल तक निर्णय को रोकना जाना भी उचित नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट का दखल संविधान की गतिशीलता के लिये आवश्यक है, इस प्रकार संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को गतिरोध के चक्करों में फंसेने से बचाने का प्रयत्न किया है। लोकतंत्र की गतिविधियों में चैक व बेलेंस होना आवश्यक है ताकि शक्ति का संचालन में केन्द्रीकरण का खतरा न हो सके। संविधान पीठ ने अपने साहसिक, ज्ञानवर्धक तथा प्रतिभाशाली निर्णय और भविष्य की सुरक्षा के लिये अपनी कलात्मक अनिश्चितकारी टिप्पणी से राहत तो देती; किन्तु अपने स्वंय के लिए एक बड़ी आफत को भी जन्म दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वंय अनुच्छेद 21 में शब्द ‘स्पर्म’ की व्याख्या करते हुये माना है कि स्पर्म यानी जीवन की गरिमा के लिये न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित होना आवश्यक है, किन्तु देश के नागरिकों को त्वरित न्याय से सर्वथा वंचित दिखाई देते हैं। न्यायालय के प्रत्येक व्यवहार में विलम्ब हो रहा है। वर्षों से मुकदमें लम्बित हैं। फैसलों ही इंतजार ही में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जानमत की अर्जियां तक फैसलों की प्रतीक्षा में दिखाई देती है। जेल में सजा काट रहे कैदियों की अपील, सजा समाप्ति तक निर्णित नहीं होती। सिविल के मुकदमों का निर्णय पोतों के जीवन में भी हो जायेगा, इसकी सम्भावना नहीं है। न्याय सुलभ भी नहीं है और न्याय मंहगा भी बहुत है। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की फीस लाखों रूपये प्रति पेस्री तक है।

न्याय त्वरित नहीं है, सही है; किन्तु न्याय के सुलभ तथा शीघ्र निस्तारण के लिये न्यायालय कोई कारगर कदम भी नहीं उठा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट का कार्य पुराने नियमों के अनुसार ही हो रहा है। नये रूल बनाने में ही वर्षों का समय लगने के बाद भी, लागू तक नहीं किये गये हैं। डिजिटलाईजेशन का उपयोग व प्रयोग कोई संतोषजनक गति नहीं पा सका है।

संविधान की पीठ ने तमिलनाडू के केस के सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा पूछे गये 14 प्रश्नों का उत्तर special reference no.1of 2025 में संविधान पीठ ने दिनांक 20.11.2025 को दिया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में पेरा nंo 165.3 में कहा है कि न्यायालय को उन परिस्थितियों जिनका उल्लेख ऊपर कहा गया है कोर्ट सीमित mandamus जारी कर सकती है। अतः प्रश्न उठाय़ा जा सकता कोर्ट के कार्य में विलम्ब के विषय में कितनी mandamus के हेतु याचिकायें पेश होंगी सोचकर ही सिर चकरा जायेगा।

Sir का प्रश्न संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से सम्बन्ध रखता है, जिसे निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिये अनुच्छेद 324 में दिये हैं अर्थात् इस विशेष पर चुनाव आयोग का निर्णय, न्यायिक समीक्षा से परे है। यदि हम संविधान पीठ के उत्तर की पृष्ठभूमि पर उसे लागू करें तो सम्भव है सभी याचिकायें justiciable नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुच्छेद 329 में वर्जन है।

सत्यमेव जयते!
-अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट

प्रदेश का सड़क तंत्र बन रहा मजबूत

विकास, विश्वास और सुगमता की नई राह पर राजस्थान



अलका सक्सेना

राजस्थान आज अपने विकास यात्रा के उस दौर में है, जहां सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं रही, बल्कि वे प्रगति, समृद्धि और सुशासन की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सड़कों के व्यापक नेटवर्क को विस्तार देने, गुणवत्ता सुधारने और सुगमता बढ़ाने का जो अभियान शुरू किया है, उसने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नई गति प्रदान की है। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर गांवों की गलियों तक, हर दिशा में विकास का पहिया गति पकड़ चुका है।

राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 24,976 करोड़ की राशि व्यय कर 36,140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर उल्लेखनीय

कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यह सरकार के उस विजन का परिणाम है जिसमें हर नागरिक तक सुगम, सुरक्षित और तेज़ आवागमन की सुविधा पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़कों के विकास हेतु 12,391 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 28,600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए 14,816 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों ने न केवल ग्रामीण अंचलों की काया पलट दी है, बल्कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। अब तक 1,564 गांव और बसावटें सड़कों से जुड़ चुकी हैं। साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की ‘मिसिंग लिंक’ सड़कों के लिए 1,328 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे पहले से कटे या दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की राह खुली है।

इसी तरह, 327 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब गांव केवल खेती तक सीमित नहीं, बल्कि तेज़ी से विकास के केंद्र बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 22 माह से अधिक के कार्यकाल में राज्य राजमार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

कुल सड़क नेटवर्क 3,17,121 किलोमीटर तक पहुंच गया है। सड़क घनत्व अब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 92.66 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। यह दर्शाता है कि राज्य के हर हिस्से में कनेक्टिविटी और पहुंच में गुणात्मक सुधार हुआ है।

राज्य में कुल 39,408 गांव अब सड़कों से जुड़े हैं। वहीं 47 राष्ट्रीय राजमार्ग और 23 राज्य राजमार्गों के उच्च गति यात्रा के लिए उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 10,790 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 17,376 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 2,06,318 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें सक्रिय हैं।

यह नेटवर्क न केवल राजस्थान के आंतरिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों से निर्बाध संपर्क भी सुनिश्चित कर रहा है। राजस्थान की सड़क नीति केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दृष्टिकोण व्यापक है – यह समाज विकास का माध्यम बन चुकी है। बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों के लिए आधारशिला सिद्ध हो रही हैं। गांवों से मंडियों तक उत्पादों की सुगम आवाजाही से किसानों की आमदनी बढ़ी है। उद्योगों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि सड़कें विकास की

सवालों के उत्तर मिलने चाहिए/सवाल कई हैं



रचना सिद्धा

पिछले दिनों दो खबरें प्रमुखता से अखबार में दिखाई और कई दिनों तक चली। न केवल प्रिंट मीडिया में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। आज इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज में दो बेमियां की जीवनलीला देखने के दानव ने सताप कर दी। पहली खबर उत्तर प्रदेश की है और दूसरी खबर राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में बेटी को जला कर मार डाला गया और राजस्थान में बेटी ने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली और साथ में अपनी तीन साल की बच्ची को भी मार डाला। दोनों ही दुर्घटनाओं की विस्तृत छानबीन चल रही है। परंतु प्रथम दृष्टया दोनों ही मामले देहेज हत्या के बताए जा रहे हैं। इन दोनों दुर्घटनाओं के बारे में पढ़कर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं।

पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दुर्घटना की। निक्की जिसकी मौत हुई उसकी बड़ी बहन की शादी भी उसी घर में हुई। दोनों बहन के साथ साथ

जेठानी देवरानी भी थीं। निक्की को सात साल का एक बेटा भी है। कहा जा रहा है कि निक्की को उसके बच्चे के सामने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। बच्चे ने भी पुलिस को बयान दिया है कि मम्मा को पापा ने लाट्टर से जला दिया। यह सब जब हो रहा था तब निक्की की सास भी अपने बेटे का साथ दे रही थीं। निक्की की बड़ी बहन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर उसे भी मारा पीटा गया। बड़ी बहन ने बताया कि निक्की के साथ देहेज को लेकर अक्सर पार पीट होती थी। शादी के समय लड़के वालों की हर फरमाईश पूरी की गई और शादी के बाद भी अक्सर उनकी मांग आती रही जिसे निक्की के माता पिता ने किसी भी तरह हिंसा और देहेज के मामले में पुलिस को शिकायत की? अब जबकि निक्की और संजू की मौत हो गई है और उनके पीहर वाले देहेज का मामला दर्ज कर रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी देहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि देहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजू के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आवाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल

समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेटीयों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल कितनी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को देहेज दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाने

– रचना सिद्धा, लेखक

यूरिया खाद लेने किसानों की भीड़ उमड़ी

- सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया, मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी**

समिति पर खाद की आपूर्ति पहुंचते ही किसानों की भीड़ लग गई। वहां सुबह 10 बजे तक करीब 300 से अधिक किसान लंबी कतारों में खड़े होकर

खाद लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह से कतार में लगे किसानों का नंबर नहीं आने पर उनमें आक्रोश था।

अचानक बढ़ी भीड़ को देखते हुए

और किसानों के आक्रोश के बीच मौके पर मावली पुलिस भी आई। बाद में पुलिस और समिति कार्यचारियों ने मिलकर किसानों की शांति से खाद वितरण कराने की अपील की लेकिन किसानों ने कहा कि वे सुबह से आए और 11 बजे तक लेकिन उनको खाद नहीं मिली।

	मेघ आर्थिक –वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सम्भव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढेंगी।		सिंह परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग सम्भव बना रहेगा। आठ परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		धनु परिवार में मन को प्रन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आने मित्रों-रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	वृष व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।		कन्या कन्या – विवाहित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।		मकर मकर – आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बनने लगेगे। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर परिवार में सुख-सुविधाएं बढेंगी।
	मिथुन व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ में सुधार होगा।		तुला तुला – व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		कुंभ व्यावसायिक कार्यों के संबंध में करके का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य में सफलता से मोबल आत्मविश्वास बढेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
	कर्क चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्य में व्यवधान हो सकता है। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बरते कार्य बिगड़ सकते हैं।		वृश्चिक घर परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढेंगी। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		मीन घर-परिवार के कार्यों के कारण पाना-दौड़ रहेगी। परिवार में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ‘‘ आधार कार्डधारियों’’ को सीधे ही नागरिकता का अधिकार देने के पक्ष में नहीं लगता?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर उसके सम्मुख चल रही बहस के दौरान संकेत दिया, आधार कार्ड अपने आप नागरिक होने का अधिकार नहीं देता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवंबर। आधार कार्ड प्राप्त करने में सफल रहे सुसर्पैठियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या एक गैर-नागरिक को आधार कार्ड होने पर मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक कल्याण लाभ सभी तक पहुंचे, और यह दस्तावेज स्वचालित रूप से मतदान का अधिकार नहीं प्रदान कर सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कई राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा करने के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि आधार

■ **‘‘आधार कार्ड’’ का सीमित मकसद था, कुछ सरकारी सुविधाएं, जैसे राशन उपलब्ध कराना। अगर किसी पड़ोसी देश से कोई भारत आता है, मजदूरी करने, तो उसे राशन की सुविधा, मानवीय कारणों से दी जाती है, पर, क्या उसे यह सुविधा देने का अर्थ उसे नागरिकता देना भी हो जाता है।**

■ **कपिल सिब्बल ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि न्यायालय का फोकस, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि प्रक्रिया की शुद्धता। सिब्बल ने आगे कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण तो नहीं, पर, आधार कार्ड से संभावना मेरे पक्ष में है कि मैं नागरिक हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर इस कारण मुझे नागरिकता मिल सकती है, अगर गलत मिली है तो सरकार यह साबित करे, न्यायिक प्रक्रिया से, तथा तभी मेरी नागरिकता रद्द की जा सकती है।**

कार्ड ‘‘नागरिकता का पूर्ण प्रमाण’’ नहीं है। बैंच ने कहा, ‘‘इसलिए हमने कहा था

हटाया जाता है, तो उसे हटाने का नोटिस दिया जाएगा।’’

आधार अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि यह नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आधार एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसे लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को राशन पाने के लिए आधार दिया गया है, क्या उसे मतदाता भी बना दिया जाना चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का है और श्रमिक के रूप में काम करता है।’’

कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को उस दस्तावेज की प्रमाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार है, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ‘‘पोस्ट ऑफिस’’ नहीं है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में बहुविवाह पर रोक लगी

गुवाहटी, 27 नवंबर। असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा।

■ **असम विधानसभा ने गुरुवार यह बिल पास किया।**

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है।

बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा।

इस ‘‘असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी’’ बिल 2025 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने शाहरुख, देवगन, टाइगर श्रॉफ, अमायरा से जवाब मांगा

जयपुर, 27 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम द्वितीय ने, ‘‘विमल गुटखे के दाने-दाने में केसर का दम’’ बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमायरा दस्तूर, अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित, विमल गुटखा ब्रॉड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से जवाब तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी

■ **आरोप है कि चारों ने विमल गुटखे में ‘‘केसर बादाम’’ बताकर भ्रामक प्रचार किया।**

लाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवार पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

परिवाद में कहा गया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल गुटखे का निर्माण कर उसे देशभर में विक्रय करने के लिए सप्टाई करती है और तीनों अभिनेता व अभिनेत्री इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। परिवार में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसमें केसर का मिश्रण है, जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और यह गुटखा पांच रुपए में आता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या बुलेट ट्रेन प्रोजैक्ट में जापान पर निर्भरता कम करना चाहता है रेलवे

जापान लीकी केबल सिस्टम और शिकान्सेन रैक्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, जबकि रेलवे उसके सस्ते विकल्प तलाश रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2027 तक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना के तहत सूरत से वापी खंड में 100 किलोमीटर की दूरी पर 250 किमी/घंटा की गति से विश्वसनीयता, उपलब्धता, रखरखाव और स्थिरता का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था, ‘‘508 किलोमीटर लंबे गलियारे की पूरी लंबाई 2029 में शुरू हो जाएगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।’’

भारत के पहले हाई-स्पीड रेल गलियारे के लिए लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है। नागरिक कार्यों की प्रगति हो रही है। हालांकि, जापान और भारत

■ **जापान इस प्रोजैक्ट का 80 प्रतिशत खर्च उठा रहा है। सवाल यह है कि रेल्वे की सस्ते विकल्प ढूंढने की रणनीति जापान को कहीं नाराज़ ना कर दे।**

■ **रेल्वे अगस्त 2027 में सूरत से वापी के बीच 256 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर हाई स्पीड ट्रेन की विश्वसनीयता, रख रखाव, टिकाऊपन और उपलब्धता का परीक्षण करेगा। रेल मंत्री ने 2029 तक बुलेट ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई।**

के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सिग्नलिंग सिस्टम और रोलिंग स्टॉक पर मतभेदों के कारण समय और लागत में वृद्धि हो रही है। जापान, जो इस परियोजना की 80 प्रतिशत लागत का वित्तपोषण कर रहा है, लीको कोऑक्सिकल सिस्टम (एललीएक्स) सिस्टम की तैनाती और शिकान्सेन रैक की पसंद पर जोर दे रहा है।

भारत यूरोपीय निर्माताओं से

रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता को आधी कीमत पर प्राप्त करना चाहता है, जो जापान द्वारा 49 दस-कोच हाई-स्पीड ट्रेन सैट्स के लिए उद्धृत की गई कीमत से लगभग आधी है। अधिकारियों ने बताया, जापान ने इस आपूर्ति को ई-10 शिकान्सेन रैक के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये में देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि पश्चिमी देशों से यह स्टॉक लगभग 10,000 करोड़ रुपये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। कांग्रेस के भीतर ‘लीडरशिप गैप्स’ का कर्नाटक संस्करण गुरुवार को तेज हो गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खेमा अब पूरी तरह सतर्क हैं और जरूरत पड़ते ही दिल्ली पहुंचकर पार्टी पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं कि शीर्ष पद पर वही बने रहें। इस सप्ताह उन्होंने पार्टी में पैदा हुई ‘उलझन’ को स्वीकार किया था और कहा था कि पार्टी को अब इस पर ‘पूर्ण विराम’ लगा देना चाहिए। इसके बाद सूत्रों का कहना है कि वे ‘वेट-एंड-वॉच’ मोड में हैं।

सूत्रों का कहना है कि यदि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से जरा भी संकेत मिला कि उनके प्रतिद्वंद्वी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार , जो सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद के प्रति झुकाव को नकार चुके हैं, को आगे

ईडी ने कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों पर छापे मारे

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ , गुजरात, राजस्थान, बिहार,

■ **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण पर रिश्तत देने के मामले में यह कार्यवाही हुई।**

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह छापेमारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गयी है। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं वाणिज्य मंत्री द्वारा यह उम्मीद जताने के बावजूद, कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग तय होने वाला है, बातचीत में दोनों पक्षों को कोई असली कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सच्चाई यह है कि कई गहरे मतभेद दोनों देशों के बीच बड़ी बाधा बने हुए हैं। दोनों पक्ष शुरुआती समझौते को अंतिम रूप देने की इच्छा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर मतभेद कायम हैं, उन्हें देखते हुए कोई भी समझौता सीमित दायरे वाला ही होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से

संवेदनशील मांगों पर कितना समझौता करने को तैयार हैं।

सबसे बड़ी रुकावट कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, खासकर अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कुछ अनाज और डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर। अमेरिका चाहता है कि इन पर शुल्क कम हो और डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, सेब, मेवे, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (प्रोसेस्ड फूड्स) और एथेनॉल जैसे उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिले। वहीं भारत के लिए कृषि, विशेषकर डेयरी, खाद्यान्न और जीएम फसलें, एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। भारत का तर्क है कि सस्ते और सस्बिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पाद छोटे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं

■ **कृषि उत्पाद व डेयरी प्रोडक्ट्स पर मतभेद अभी भी उसी स्थिति में हैं, जो बातचीत के प्रथम दिवस से था।**

■ **अमेरिका चाहता है, डेयरी, खाद्यान्न के बेचने के लिए उसे खुली छूट मिले। पर, डेयरी प्रोडक्ट्स उन मवेशियों के दूध से तैयार किये जाते हैं, जो पशु बाय प्रोडक्ट्स मिश्रित चारे पर पले होते हैं। अतः भारत की आम जनता सांस्कृतिक (कल्चर) कारणों से इन डेयरी प्रोडक्ट्स को स्वीकार नहीं करेगी। पर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स काफी सस्ते होंगे और इजाजत मिली तो भारत के मार्केट पर कब्जा कर लेंगे तथा भारत में छोटे-छोटे सहकारी प्रयासों से चल रहा डेयरी उद्योग चौपट हो जाएगा।**

और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं।

सांस्कृतिक और खान-पान की

आदतों की वजह से डेयरी आयात का मुद्दा खास तौर पर संवेदनशील है, और क्योंकि भारतीय डेयरी कोऑपरेटिव

और छोटे डेयरी किसान घरेलू रैगुलेटरी और टैरिफ रुकावटों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। भारत ने हमेशा व्यापार समझौतों में डेयरी क्षेत्र को उदारीकरण से बाहर रखा है और इस बार भी यही रुख कायम है। अमेरिकी डेयरी उत्पादों, खासकर जानवरों के बाय-प्रोडक्ट या जी.एम. कंटेंट वाले चारे पर पलने वाले मवेशियों से बने प्रॉडक्ट्स के लिये अपने बाजार खोलना, लोगों के साथ-साथ, रैगुलेटरी चिंताओं को भी बढ़ाता है।

कृषि और डेयरी के अलावा भी, कई क्षेत्र विवाद का कारण बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन), पेट्रोकेमिकल और कुछ अन्य औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क कम करे।

इसके बदले भारत उम्मीद करता है कि अमेरिका इस्पात, एल्यूमिनियम, ऑटो-पुर्जें, इंजीनियरिंग सामान और वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्क में राहत दे।

रुकावटों में रैगुलेटरी और नॉन टैरिफ रुकावटें भी खास तौर पर शामिल हैं। भारत अपनी रैगुलेटरी ऑटोनोमी बनाए रखना चाहता है, जिसमें, खेती और खाने के इंपोर्ट के लिए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तथा जी.एम. प्रॉडक्ट पर रोक शामिल है। लेकिन अमेरिका अपने एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा आसान, ज्यादा सरल ट्रेड और कम रैगुलेटरी रुकावटों के लिए जोर दे सकता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

की लागत पर खरीदा जा सकता है।

लागत को कम करने और जापान पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्टैंडर्ड गेज ट्रेनसेट्स के स्वदेशी निर्माण की योजना को तेज कर दिया है, जो वर्तमान में सरकारी -स्वामित्व वाले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले सप्ताह सूरत एचएसआर स्टेशन की समीक्षा यात्रा के बाद, बीईएमएल को इन ट्रेनसेट्स को 2027 की शुरुआत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का कहना है दो प्रोटोटाइप रैक सूरत-वापी खंड में विश्वसनीयता उपलब्धता रखरखाव व स्थिरता परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाएंगे।

भारतीय रेलवे ने लीकी केबल सिस्टम के बजाय ‘ओपन सोर्स’ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विस्फोट का मुख्य आरोपी बिलाल वानी एनआईए रिमांड पर

श्रीनगर, 27 नवंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को दिल्ली कार बम विस्फोट के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी को सात दिन की रिमांड पर ले लिया। दिल्ली की

■ **एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किये।**

एक स्पेशल कोर्ट ने वानी को सात दिन की हिरासत में भेजने का फैसला किया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड के रहने वाले वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किए और रॉकेट बनाने की भी कोशिश की, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ज्वैलर्स की दुकान में हुई 38 लाख की लूट का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी से कुछ ज्वैलरी भी बरामद की, दो बदमाशों की तलाश जारी

अलवर, (निसं)। अलवर में ज्वैलर की दुकान में घुसकर 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे जिला अस्पताल में मेडिकल कराने लाया गया तो तीन पुलिसवालों ने कार से उतारा। अस्पताल के अंदर मेडिकल कराने ले जाया गया।

अलवर एसपी ने बताया कि एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी सागर उर्फ संजय यादव निवासी इस्माईलपुर पुलिस थाना बाबली जिला झुज्जर हरियाणा का निवासी है। उससे कुछ ज्वैलरी भी बरामद की है। तीनों बदमाश हरियाणा के झुज्जर के आवासपस के हैं। लूट की वारदात कर वापस वहीं निकल गए थे। अभी पुलिस को दो बदमाशों की तलाश है।

डोडा-पोस्ट समेत एक गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर की चौपासी हाइवेज बोर्ड पुलिस ने डीपीएस सफल के पास नाकाबंदी में सीमेंट के कट्टों से भरे ट्रेलर को रूकवाया। गाड़ी की तलाशी में कुछ नहीं मिला मगर चालक के पास से दो किलो अवैध डोडा-पोस्ट मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने यह डोडा-पोस्ट खुद के उपयोग के लिए लाना बताया। थानाधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि नाकाबंदी में एक सीमेंट से लदे ट्रेलर को रूकवाया गया। चालक के पास से दो किलो डोडा-पोस्ट मिला। इस पर सहयोग विशिष्ट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया।

किशोरी से दुष्कर्म

बीकानेर, (निसं)। 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी फरार है, जिसे कोर्टोट थाना पुलिस तलाश रही है। पीड़िता की मां की ओर से पुलिस को दो नोट रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने पुत्र और नाबालिग पुत्री के साथ रहती है। आरोपी अशोक वेटर टेकदेवार है और पुत्र उसके साथ काम करता है। करीब 25 दिन पहले अशोक उसकी पुत्री को महला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया।

हथियार दिखाकर तीन बदमाश ज्वैलरी की दुकान से 38 लाख के जेवरात लूट कर फरार हो गये थे, पांच दिन से पुलिस तलाश कर रही थी

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे अलवर शहर के तिजारा रोड पर मोहनलाल सोनी की दुकान राधा ज्वैलर्स में घुसकर हथियारों के दम पर 38 लाख रुपए के जेवर लूट ले गए थे। एक बाइक पर तीन बदमाश आए थे। एक ने हेलमेट लगा रहा था। दो ने मुंह को ढका हुआ था। पहले एक बदमाश दुकान में गया। इसने जाते ही मोहनलाल के गले पर दरंगी लगा दी थी। दूसरा बदमाश तिजोरी की

तरफ गया। तिजोरी से जेवर अपने बैग में भरने लगा। तीसरा बदमाश बाहर कट्टा लेकर खड़ा रहा। बीच में कुछ सेकेंड तीसरा बदमाश भी दुकान के अंदर गया। उसने सोनी के साथ मारपीट भी की। करीब 1 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर बाइक से चिकानी रोड की तरफ भाग गए थे। अब 5 दिन बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। व्यापारी से मारपीट कर दुकान की तिजोरी से करीब 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले एक बदमाश को 5

दिन में पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी दो फरार हैं। इस मामले को लेकर 5 दिन से व्यापारी वर्ग में रोष था। दो दिन पहले जल्दी बदमाशों के अरेस्ट नहीं होने पर अलवर बंद का आह्वान किया था। एक दिन दो घंटे सर्राफा बाजार बंद रखा गया था। करंट लगने से किसान की मौत : डूंगरपुर के धंभोला थाना क्षेत्र के बासिया मालीफला में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान को में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। बोरवेल की मोटर के पास करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बेटी अपने पिता को देखने पहुंची तो वे मृत हालत में मिले।

धम्बोला थाना हेड कॉनि. सोहनलाल ने बताया कि जयंती उत्तर

घना ताबियाड की करंट लगने से मौत हो गई है। जयंती बुधवार देर शाम को खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। खेतों में बोरवेल के पास ही स्टार्टर भी लगा हुआ था। करंट लगने से जयंती ताबियाड बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। देर तक पिता वापस घर नहीं आए तो बेटी रविना पिता को देखने खेतों की तरफ गई। बोरवेल के पास ही पिता बेहोश हालत में पड़े हुए मिले। रविना ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया, लेकिन जयंती की मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर धंभोला थाने से हेड कॉनि. सोहनलाल, रोशन और विनोद की टीम पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को सीमलवाडा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया।

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और प्रभारी जमानती वारंट से तलब

अवमाननाकर्ता को 50 -50 हजार के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया

हाईकोर्ट और आयोग के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर अवमानना करने पर अवमाननाकर्ता के खिलाफ यह आदेश जारी किया

अदा करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ बीमा कंपनी की अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 16 अप्रैल 2024 को स्थगन आदेश जारी कर दिया। प्रार्थी की रिट याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गत 14 जनवरी को 50 फीसदी राशि का भुगतान 31 मार्च तक प्रार्थी को अदा करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को उसे राशि वमा नहीं करने पर 12 अगस्त को खंडपीठ ने बीमा कंपनी को दो सप्ताह में आदेश की पालना करने के निर्देश दिया और इसके अभाव में प्रार्थी को विपक्षी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की छूट प्रदान की। 9 सितम्बर को विपक्षी के यह कहने पर

कि उन्होंने गलत जगह का ड्राफ्ट बना दिया था, खंडपीठ ने विपक्षी को सही डिमांड ड्राफ्ट दो सप्ताह में 15 हजार की कॉस्ट के साथ जमा कराने का आदेश दिया।

अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की जानबूझकर पालना नहीं कर 19 नवंबर को आधी अधूरी राशि 72 लाख 27 हजार 630 रुपए राज्य उपभोक्ता आयोग के नाम से ड्राफ्ट बना कर जमा करवा दी,जबकि विपक्षी को सही राशि का ड्राफ्ट प्रार्थी के नाम से जमा करना था,सो अवमाननाकर्ता को जरिए वारंट तलब किया जाए।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने

विस्तृत आदेश में कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की पूर्ण पालना नहीं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य आयोग,जोधपुर के समक्ष राशि जमा करने का आदेश दिया था और कहा था कि राशि प्रार्थी को अदा की जाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी को यह जानकारी होते हुएकि राज्य आयोग का कोई बैंक खाता नहीं है, उन्होंने प्रार्थी के नाम से ड्राफ्ट नहीं बनाकर आयोग के नाम से बनाकर तलब किया है। अवमाननाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के किसी भी आदेश की पालना नहीं की है सो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत उनको दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है सो अवमाननाकर्ता को 50 -50 हजार रुपए के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया जाता है।

अवैध रूप से पेड़ काटने व कोयला कारोबार करने पर प्रशासन सख्त

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में राजकीय भूमि और जंगलों पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संघू ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में 10 कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 (सीसीए) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इनमें से चार कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर ने बनेड़ा क्षेत्र में बिना नीलामी हजारों पेड़ काटे व सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर को गायब करने संबंधी मामला सामने आने पर विभागीय जांच करवाई। जांच में दोषी पाए जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक देवकरण टॉक व पटवारी (हल्का बामाणिया) भगवत लाल जाट को निलंबित किया गया। साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है एवं तहसीलदार बनेड़ा संतोष कुमार सुनारीवाल के विरुद्ध

जिला कलेक्टर ने 10 अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध 16 सीसीए की कार्रवाई की, चार को निलंबित किया

भी 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर को आसीद क्षेत्र के नारायणपुरा गांव के 200 बीघा जंगल में अवैध रूप से पेड़ कटवाने व अवैध तरीके से कोयला माफिया से मिलीलाभ कर कोयला बनाकर बाहर भेजने संबंधी प्रकरण सामने आया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जांच करवाई गई। जिला कलेक्टर ने भू अभिलेख निरीक्षक नरेशनाथ योगी व पटवारी दूल्हेपुरा गारंटी बाई मीणा को निलंबित किया, साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है। तहसीलदार आसीद जयसिंह के विरुद्ध भी 16 सीसीए के तहत

अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर को जहाजपुर क्षेत्र में 300 बीघा बिलानाम भूमि पर बबूल के पेड़ काटने व अवैध कोयला कारोबार से संबंधित मामला सामने आया, जिसमें विभागीय जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाये जाने पर तहसीलदार जहाजपुर रवि कुमार मीणा, नायब तहसीलदार खजूरी बट्टीलाल मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक अशोक कुमार धाकड़ व पटवारी हल्का किशनगढ़ अंकित कुमार गुप्ता के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजकीय संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संरक्षण व राजस्व भूमि सुरक्षा प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं पर तत्काल सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मामूली कहासुनी में किशोर से मारपीट

डोडवाना, (निसं)। डोडवाना में एक कैफे में हुई मामूली कहासुनी ने हैवानियत का रूप ले लिया और कुछ युवकों ने एक किशोर को रामसाबास

मारपीट के बाद नमक झील क्षेत्र में किशोर को पटक कर भाग गये आरोपी युवक

रोड़ स्थित नमक झील क्षेत्र में ले जाकर बेरमरी से पीटा। पीटाई में आरोपियों ने इतनी दरिद्री की और पीड़ित किशोर को लाटियों और बेल्ट से इस कदर पीटा कि उसकी पीठ, पैर और कूल्हे पर चोट के गहरे लाल निशान बन गए। मारपीट के बाद आरोपी युवक, किशोर को नमक झील में पटककर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित किशोर के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही परिजन उसे गंभीर हालत में लेकर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पीड़ित किशोर के परिजनों द्वारा पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

विवादों में रही कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार

उदयपुर, (कासं)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने गुरुवार को इस्तीफा स्वीकार किया। लंबे समय से विवादों में रही प्रो. सुनीता मिश्रा विवादों के बाद से ही छुट्टियों पर थी। उनके खिलाफ छात्रों ने कई प्रदर्शन भी किए थे। मिश्रा के बयान को लेकर प्रदेशभर में विरोध हुआ था। कई मंत्रियों ने भी इस पर विरोध जताया था। राजभवन से जारी पत्र में लिखा गया कि कुलगुरु के खिलाफ मिली शिकायतों पर संभागीय आयुक्त (उदयपुर) की कमेटी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

जाकनारी के अनुसार कुलगुरु

युवती से दुष्कर्म का आरोप

जोधपुर, (कासं)। पाक विस्थापित युवती से उसके एक परिचित ने दुष्कर्म किया। उसके फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि पाक विस्थापित युवती वर्ष

2014 में यहां आई। उसके साथ ही आरोपी भी 2014 में आया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 23 नवंबर को उसने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। अब उसे फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है।

तीन साल से फरार हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पास जैन के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हैमन्त कुमार के

आरोपी से बिना नम्बरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त, आरोपी के खिलाफ पूर्व में 11 प्रकरण दर्ज हैं

सुपरविजन में स्थाई वारंटीयों की गिरफ्तारी व आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिये एरिया डीमोनेशन को कार्रवाई के लिये विधेप पुलिस टीम का गठन किया गया। गठीत पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर हलेड तिराहा पर बिना नम्बरी स्कॉर्पियो कार जिसके शिष्यों पर काली फिल्म चढ़ी हुई सहित लम्बे समय से फरार कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर और स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ पिता महावीर प्रसाद धाकड़ निवासी हनुमान कॉलोनी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। हनुमान धाकड़ के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार को कब्जे में रखने, धोखाधड़ी और मारपीट के 11 प्रकरण दर्ज हैं।

कार्यालय अधिशाषी अभिलेखना, राजस्थान राज्य कृषि विधणल बोर्ड, उदयपुर	
क्रमांक - B.46/38/3उद्य./वि.ई./85/2025-26/रजिस्ट्रर डी. 19022496	दिनांक - 25/11/2025
निविदा सूचना संख्या -06/2025-26 (NIB No. AGM2526A0206)	
राजस्थान राज्य कृषि विधणन बोर्ड खण्ड उदयपुर एवं डूंगरपुर में जनजाति विकास कार्य, उदयपुर, राजसमन् एवं डूंगरपुर में आधुनिक कॉलेज, होसियरल, डिस्नेन्सरी एवं उद्यान विभाग के कार्यों की ऑनलाईन निविदाएं ई-प्रोक्चुरमेंट www.eproc.rajjasthan.gov.in के माध्यम से उपयुक्त कार्य हेतु दिनांक 22.12.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विड से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.rsamb.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in (NIB No AGM 2526A0206 & UBN No. 878 to 881 & 883 to 891) पर भी देखा जा सकता है।	
रज.सं.सं.ए/सी/25/14693	अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड-1। बीकानेर	
क्रमांक-1124	दिनांक-20/11/2025
ई-बोली सूचना संख्या-11/2025-2026	
Bid for Permanent Restoration Work on Various Roads SDGH & CD Work NH-62 to Kisturia at Ch 0/500 are invited from interested bidders from 24-11-2025 to 08-12-2025 6.00 PM. and to be opened 09-12-2025 02.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajjasthan.gov.in , http://sppp.raj.nic.in) of the state; and PWD Department website. The approximate value of the procurement is Rs 192.75 Lacs.	
(महेश्वर पाल सिंह घालिया)	
अधिशाषी अभियन्ता,	सानिधि जिला खंड-1।, बीकानेर
DIPRC/17382/2025	

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	
ई-निविदा सूचना	दिनांक - 26/11/2025
निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
e-Tender No. RSM/M/CO/GGM (Cont) Cont-12/2025-26 dated 25.11.2025 UBN No. MML2526WS080109	ड्रामरकोटडा रॉक फॉस्फेट माईन्स रिसत बैस केम्प चौराहे से बेल्मन गेट तक बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य। (निविदानुसार) अनुमानित लागत: रु. 26.70 लाख, प्यहोर राशि: रु. 53,400/-, निविदा प्रपन मूल्य 1180/-
उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rsmm.com , www.sppp.rajjasthan.gov.in , www.eproc.rajjasthan.gov.in अथवा वरि. प्रबन्धक (अनुबन्ध) से उपरोक्त पत्र पर सम्यक् करें।	
रज.सं.सं.ए/सी/25/14690	उप महाप्रबन्धक (का.एल.)

राजस्थान सरकार	
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर	
क्रमांक: प. 1/आ. मि / लैब आईटएम क्रय/ 2025-26/106	दिनांक: 20.11.2025
ई- बोली विज्ञिप्त वर्ष 2025-26	
चिकित्सालय व राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों के लिए लैब आईटएम आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित मूल निर्माताओं / डिस्ट्रीब्यूटर्स / अधिकृत विक्रेताओं से कुल अनुमानित राशि 14424000/- रु. की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका UBN NO.-AYU2526GL0B00318 है। लैब आईटएम क्रय हेतु निविदा फॉर्म डाउनलोड प्रारंभ करने की दिनांक 20.11.2025 सायं 6:00 बजे से एवं स्वीकार करने की अंतिम दिनांक 10.12.2025 सायं 6:00 बजे तक रखी गई है। बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट https://eproc.rajjasthan.gov.in , https://dipr.rajjasthan.gov.in , https://sppp.rajjasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट https://ayurved.rajjasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।	
DIPRC/17345/2025	निदेशक

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त बारां	
क्रमांक :- 3उअ/वृत्त/बारां/2025-26/1901	दिनांक: 17/11/2025
निविदा सूचना संख्या: 04 से 07/2025-26	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/कार्य के ठेकेदार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक, दूरसंचार, रेल्वे, सेना अभियांत्रिकी सेवा, अन्य राज्य सरकारों / केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/ संघठनों के पास सूचीबद्ध ठेकेदार, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" श्रेणी के समतुल्य हैं भी कार्य के लिये निविदा हेतु नियमानुसार विहित अंतिम धनराशि देने के पश्चात् निविदा हेतु पात्र होंगे, से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्चुरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।	
निविदा फॉर्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajjasthan.gov.in से दिनांक 19.11.2025 प्रातः 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाईन निविदाएं इसी वेबसाईट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 19.11.2025 से 04.12.2025 सायं 18:00 बजे तक उपलब्ध किये जा सकते हैं। वेबसाईट पर दिनांक 05.12.2025 को इस कार्यालय में दोपहर 15:00 बजे निविदा खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन कार्यदिनस को उसी समय पर निविदा खोली जावेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क/धरोहर राशि निविदादाता द्वारा ई-ग्रान्त के माध्यम से जालान की प्रति इस कार्यालय में 05.12.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवाना होगा। विभाग में पंजिकृत स्थाई संवेदक/कर्म पंजीयन जीवित नहीं होने, संवेदक/कर्म का पुनरावलोकन जीवित नहीं होने की स्थिति में निविदा माय्य नहीं होगी।	
उक्त निविदा एक्सपीरी पेटेल पर प्रकाशित की जा चुकी है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं :-	
1. http://www.eproc.rajjasthan.gov.in	2. http://sppp.rajjasthan.gov.in

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि			निविदा/ प्रक्रिया शुल्क (रुपय में)		कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2%	½%		tender Fees	RISL Fees	
04/ 2025-26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Chhabra UBN No.: PHE2526 WSR0C08646	150.00	3,00,000/-	75000/-		5000/-	2000/-	12 माह
05/ 2025-26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Baran. UBN No.: PHE2526WSRC08651	150.00	3,00,000/-	75000/-		5000/-	2000/-	12 माह
06/ 2025-26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Chhabra, Dist. Baran UBN No. PHE 2526WSRC08652	100.00	2,00,000/-	50,000/-		2000/-	1500/-	12 माह
07/ 2025-26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Baran, Dist. Baran UBN No. PHE 2025 WSRC08653	100.00	2,00,000/-	50,000/-		2000/-	1500/-	12 माह

जल ही जीवन है

(आलोक कुमार गुप्ता)
अधीक्षण अभियंता
जनस्वा.अभि. विभाग, वृत्त बारां

RIICO	RAJASTHAN
राजस्थान सरकार का उपक्रम	REPLUTE • RESPONSIBLE • READY
औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार	आप भी बनें भागीदार
सरस ई-नीलामी के माध्यम से	आवंटन
अन्तिम 4 दिन शेष	
आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना	
61 कुल औद्योगिक क्षेत्र	322 कुल भूखण्ड
312 औद्योगिक भूखण्ड	10 लॉजिस्टिक भूखण्ड
उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है	
ईप्सडी	अंतिम तिथि: 01 दिसम्बर, 2025 (सायं 06:00 बजे)
ऑनलाईन विड	प्रारम्भ तिथि: 02 दिसम्बर, 2025 (प्रातः 10:00 बजे)
अंतिम तिथि: 04 दिसम्बर, 2025 (सायं 05:00 बजे)	
33 आबू रोड	09 चूरू
21 अजमेर	10 बीकानेर
02 अलवर	14 श्रीगंगानगर
07 भिवाड़ी-I	22 किशनगढ़
14 भिवाड़ी-II	16 भीलवाड़ा
08 बोरानाडा	01 जयपुर (ग्रामीण)
09 धिलोठ	04 भरतपुर
03 नीमराना	
*25% भूतगन के बाद, शेष 75% भूतगन 11 किस्मों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भूतगन या	
रीको की टर्न लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ	
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए	
आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें	
राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005	
ई-नीलामी हेल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237; कस्ट्स्एफ+91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in	
आवंटन से सम्बंधित विगोली एवं सॉ, ईमेली विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें https://riico.rajjasthan.gov.in या https://www.riico.co.in	

</

